

**Sociology(Hons.), Part-1, Paper-I, Unit-2, Basic Concepts: Characteristics of Institution,
Dr. Pramod Gandhi, Lecture series no.-5**

&

**Sociology(Sub./Gen.), Part-1, Unit-2, Basic Concepts: Characteristics of Institution,
Dr. Pramod Gandhi, Lecture series no.-5**

प्रश्न—संस्था की विशेषताएं या आवश्यक तत्वों का वर्णन करें?

(Describe some characteristics or essential elements of Institution.)

उत्तर— संस्था की कुछ विशेषताएं या आवश्यक तत्वों का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है—

(1) **एक विचार (An Idea)** – संस्था के लिए प्रथम आवश्यक तत्व एक विचार का किसी मनुष्य के मस्तिष्क में आना है। किसी आवश्यकता की पूर्ति के साधन के रूप में यह विचार उत्पन्न हो सकता है। धीरे-धीरे यही विचार विभिन्न स्तरों से गुजरकर एक संस्था का रूप ग्रहण कर लेता है।

(2) **विशिष्ट उद्देश्य (Specific Purpose)** – प्रत्येक संस्था की उत्पत्ति का आधार कोई न कोई आवश्यकता होती है जिसके अभाव में इसका विकास संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि उद्देश्य के कारण ही प्रत्येक प्रकार की संस्था का विकास होता है।

(3) **संरचना (Structure)** – प्रत्येक संस्था की अपनी एक संरचना होती है जो कि अन्य समाजों में उसी प्रकार की संस्था की संरचना से भिन्नता लिये हुए होती है। उदाहरणस्वरूप, विवाह की संस्था सभी समाजों में पायी जाती है परन्तु विभिन्न समाजों में इसकी संरचना में अन्तर हो सकता है। संरचना में नियम, विधि-विधान तथा कार्य-प्रणाली आदि होते हैं।

(4) **अभिमति एवं अधिकार (Sanction and Authority)** – संस्था का एक आवश्यक तत्व समूह या समाज की स्वीकृति या अभिमति है और इसी स्वीकृति के आधार पर संस्था को कुछ अधिकार या सत्ता प्राप्त होती है। इसी सत्ता के कारण संस्था मनुष्यों के व्यवहारों को नियंत्रित कर पाती है और उन्हें निश्चित प्रकार से व्यवहार करने का निर्देश देती है।

(5) **स्थायित्व (Permanency)** – संस्थाएं साधारणतः स्थायी होती हैं क्योंकि इनका विकास मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में होता है और ये आवश्यकताएं काफी लंबे समय तक बनी रहती हैं। परन्तु स्थायित्व का यह तात्पर्य नहीं है कि संस्थाएं कभी परिवर्तित होती ही नहीं। जैसे ही मनुष्य की आवश्यकताओं में परिवर्तन आता है, उसके साथ ही साथ संस्थाओं का रूप भी बदल जाता है।

(6) **प्रतीक (Symbol)** – प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है जो भौतिक या अभौतिक हो सकता है।

(7) **विरासत (Heritage)** – प्रत्येक संस्था का विकास काफी लम्बी अवधि के बाद होता है। संस्था समाज या समूह द्वारा स्वीकृत एक कार्य-प्रणाली के रूप में होती है। चूंकि संस्था मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है और ये आवश्यकताएं बनी रहती हैं, अतः संस्था पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित होती है।